

पंचायत निगरानी संख्या : 408/2024
 उन्वान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम राजेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान
 पंचायती राज, अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 408/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/517

प्रार्थी :-

अप्रार्थीगण :-

विकास अधिकारी देसूरी पंचायत
 समिति देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र रंगराज, मधु
 पत्नी राजेश कुमार, ललिता पत्नी
 ललितजी, मीना पत्नी रमेशजी,
 प्रेमलता पत्नी कनकराज जैन
 निवासी घाणेराव तहसील देसूरी
 जिला पाली राज.

2. सरपंच ग्राम पंचायत घाणेराव

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम
 पंचायत घाणेराव द्वारा जारी पट्टा संख्या 5151 (पट्टा बुक नम्बर 104) दिनांक 07.
 06.2011 क्षेत्रफल 519.9 वर्गफीट संकल्प संख्या 07 दिनांक 05.01.2011 को निरस्त
 करवाने बाबत।

उपस्थिति :-

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रताराम राठौड़।

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र माथुर।



—:निर्णय:—

दिनांक: 13.01.2026

प्रार्थी विकास अधिकारी देसूरी ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान
 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा पट्टा संख्या 5151 (पट्टा बुक
 नम्बर 104) दिनांक 07.06.2011 क्षेत्रफल 519.9 वर्गफीट संकल्प संख्या 07 दिनांक 05.01.2011 एवं
 भूमि विक्रय पत्रावली संख्या 121/2010-11 (दायर दिनांक 02.10.2010) को निरस्त करवाने बाबत
 पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया
 गया।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित अनिमियतताओं के कारण
 प्रस्तुत की गई:-

1. ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 को रसीद संख्या 937 दिनांक 07.06.
 2011 (राशि रुपये 78,889) के द्वारा पट्टा संख्या 5151 (पट्टा बुक संख्या 104) (मिसल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर



पंचायत निगरानी संख्या : 408/2024

उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम राजेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

संख्या 121/2010-11) जारी किया गया जो क्षेत्रफल 519.9 वर्गफीट का निम्न पड़ौसियों के बीच जारी किया गया:-

पूर्व - मधु पत्नी राजेशजी जैन, मीना पत्नी रमेशजी जैन का मकान वगैरह

पश्चिम- प्रेमलता पत्नी कनकराज जैन, ललिता पत्नी ललित जी वगैरह

उत्तर- राजेश कुमार पुत्र रंगराज जैन

दक्षिण- आम रास्ता मय प्रवेश द्वार

2. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को सरपंच ग्राम पंचायत घाणेराव के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 144(2) के तहत पट्टा संख्या 5151 (पट्टा बुक न. 104) दिनांक 07.06.2011 को क्षेत्रफल 519.9 वर्गफीट का जारी किया गया। जिसमें निम्न अनियमितता पाई गई:-

(क) ग्राम पंचायत घाणेराव के आम रास्ते को जो कि आवागमन हेतु मार्ग है। उक्त आम रास्ते की भूमि को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में भूपट्टी (नियम 144(2)) बताकर उसका पट्टा राजेश कुमार पुत्र श्री रंगराज, श्रीमती मधु पत्नी श्री राजेश कुमार, श्रीमती ललिता पत्नी श्री ललित, श्रीमती मीना पत्नी श्री रमेश तथा श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री कनकराज समस्त जातिगण जैन, निवासीगण घाणेराव के संयुक्त नाम से पट्टा न. 5151 (बुक न. 104) दिनांक 07.06.2011 को जारी कर दिया। अतः पट्टा खारिज योग्य है।

(ख) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत नियम 154(3क) के अनुसार 50,000/- रुपये अधिक राशि का पट्टा बिना पंचायत समिति के अनुमोदन के जारी कर दिया जो कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 154 (3क) की अवहेलना कर पट्टा जारी कर दिया गया। अतः उक्त पट्टा खारिज योग्य है।

सारांशतः, ग्राम पंचायत घाणेराव की आबादी भूमि में आम रास्ते को आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा था, ग्राम पंचायत के आम रास्ते की भूमि को भूपट्टी (नियम 144(2)) बताकर नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया एवं ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत बिना पंचायत समिति के पत्रावली अनुमोदन किये बिना ही पट्टा जारी किया गया। अतः उक्त पट्टा खारिज योग्य है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा पट्टा संख्या 5151 (पट्टा बुक नम्बर 104) दिनांक 07.06.2011 क्षेत्रफल 519.9 वर्गफीट संकल्प संख्या 07 दिनांक 05.01.2011 एवं भूमि विक्रय पत्रावली संख्या 121/2010-11 (दायर दिनांक 02.10.2010) को निरस्त फरमावे।



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 408 / 2024

उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम राजेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या एक के रूप में संयोजित रेस्पोजेण्ड्स के आम मुख्तियार श्री कनकराज जैन ज़रिए अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शष नहीं होने से बहस सुनने का विनिश्चय किया गया।

प्रार्थी ने निगरानी प्रस्तुत करने के बाद से ही न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रधिनिधि के मार्फत आदिनांक उपस्थित नहीं रहे हैं। प्रार्थी आज वक्त बहस अनुपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत घाणेराव की ओर से अधिकृत अधिवक्ता श्री दिनेशचन्द्र माथुर भी वक्त बहस अनुपस्थित है। अतः अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक ने एकतरफा बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका काबिल खारिज है। यह कि समस्त अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तथा जैर निगरानी प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तथा जैर निगरानी प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के रहवासी मकानों से लगती हुई होने से उनके सामुहिक उपयोग की भूमि रही है। ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया की पालना करते हुए तथा अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भू पट्टी पर क्लेम/दावा नहीं होने से अप्रार्थीगण को प्रचलित बाजार मूल्य पर आवंटन किया है। यह भी, कि प्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के मात्र काल्पनिक आधार पर प्रश्नगत आवंटित भू पट्टी को सार्वजनिक रास्ता बताकर हस्तगत निगरानी पेश की है जो प्रथमदृष्टया ही काबिल खारिज है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी जाहिर किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा राशि पचास हजार से अधिक मूल्य के पट्टे का पंचायत समिति से पूर्वानुमोदन नहीं लिया, तो ग्राम पंचायत स्तर पर

इस प्रक्रियात्मक त्रुटि हेतु अप्रार्थीगण को दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा मिसल संख्या 121/2010-11 के सम्बन्ध में दिनांक 05.01.2011 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 07 पारित करते हुए अप्रार्थीगण को भू पट्टी बमाप 519.9 वर्गफीट आवंटित करने का निर्णय लिया गया एवं प्रचलित बाजार मूल्य दर राशि 78899/- मात्र जमा करवाने पर विक्रय विलेख संख्या 5151 दिनांक 07.06.2011 निष्पादित किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी प्रस्तुत करते हुए उक्त भू पट्टी आवंटन को प्रमुखतः दो आधारों पर चुनौति दी गई है:-

1. आम रास्ते के रूप में आवागमन के उपयोग में आ रही भूमि को भू-पट्टी के रूप में आवंटित किया गया।
2. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 154 की अवहेलना में 50,000 रुपये से अधिक राशि का उक्त पट्टा विलेख बिना पंचायत समिति के पूर्वानुमोदन के जारी किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 408/2024

उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम राजेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अप्रार्थीगण श्री राजेश, मधु, ललिता, मीना एवं प्रेमलता द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत घाणेराव को एक संयुक्त आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण संयुक्त परिवार से सम्बद्ध है जिनके मकान वार्ड संख्या 17 में आमने सामने आए हुए है तथा उक्त मकानों के बीच में ग्राम पंचायत की भू पट्टी पडी है जो किसी के उपयोग में नहीं आती है और न ही किसी प्रकार का रास्ता वगैरह है, अतः उक्त भू पट्टी हमारे संयुक्त परिवार या किसी एक के नाम आवंटित तथा जो भी राशि होगी, वह जमा कराने को तैयार है।

अप्रार्थीगण के उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा मिसल संख्या 121/2010-11 दर्ज कर जाँच प्रारम्भ की गई। मिसल पत्रावली में सलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 02.10.2010 में कोरम सदस्यों द्वारा यह पाया गया कि "आज दिनांक 02.10.2010 को ग्राम पंचायत घाणेराव की ग्राम सभा बैठक दिनांक 02.10.2010 के प्रस्ताव संख्या की पालना राज जैन मधु पत्नी राजेश कुमा जैन, ललिता पत्नी ललित कुमार जैन, मीना पत्नी रमेश कुमार जैर के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीया के द्वारा मांग की गई भू पट्टी स्थल का मौका निरीक्षण वार्ड पंचों एवं मोहल्लेवासियों की मौजूदगी में स्थल का मौका देखा गया। मोहल्लेवासियों एवं वार्डपंचों द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण का संयुक्त परिवार है तथा प्रार्थीया के परिवार के सदस्यों के नाम से भू पट्टी के तीना तरफ मकान बने हुए है भू पट्टी प्रार्थीया के निवास के रूप में काम आ रही है। उक्त भू पट्टी प्रार्थीया को आवंटन की जाती है तो रास्ता में किसी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी तथा प्रार्थीया के मकान के लगती भू पट्टी है अन्य कोई दावेदार नहीं है तथा न ही किसी के मकान के लगती भू पट्टी है अतः प्रार्थीयों संयुक्त नाम से भू पट्टी आवंटन की जाती है तो किसी को कोई एतराज नहीं है।"



राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 के प्रावधानान्तर्गत उपरोक्तानुसार तैयार मौका निरीक्षण रिपोर्ट उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.10.2010 को नियम 148 के अन्तर्गत आपत्ति इशतिहार जारी किया गया तथा आदेशिका दिनांक 12.11.2010 के अनुसार आपत्ति अवधि के दौरान प्रस्तावित भू पट्टी के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई अर्थात उक्त भू पट्टी के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्लेम नहीं किया गया। मिसल में कलमबद्ध किये गए बयानों में गवाह श्री मांगीलाल पुत्र शोभाजी, श्री बंशीलाल पुत्र बाबुलाल जी, देवराज पुत्र राजमल जी, श्री वनाराम पुत्र मेघाजी, श्री वगतावरमल पुत्र देवाजी, श्री दिलीप कुमार पुत्र वगतावरमलजी तथा श्री लच्छीराम पुत्र गलाजी ने यह सशपथ कथन किया कि वार्ड 17 में आवेदकगण के मकान आमने सामने आए हुए है, प्रार्थीगणों के मकानों के बीच एक भू-पट्टी पडी है, जो इन्हीं के उपयोग में आती है, उपरोक्त भू पट्टी पर अन्य किसी के मकान व रास्ता वगैरह नहीं है तथा उपरोक्त भू पट्टी पर प्रार्थीगण के अलावा किसी का हक हकूक वगैरह नहीं है। तत्पश्चात ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा बैठक दिनांक 05.01.2011 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 07 पारित कर प्रस्तावित भू पट्टी को राजस्थान पंचायतीराज नियम के नियम 144 के उपबन्धानुसार प्रचलित बाजार मूल्य पर आवेदकगण (अप्रार्थी) को संयुक्त रूप से विक्रय करने का निर्णय लिया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 408 / 2024

उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम राजेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान
पंचायती राज. अधिनियम, 1994

गया तथा प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाने पर दिनांक 07.06.2011 को पट्टा विलेख संख्या 5151 निष्पादित किया गया।

याचिकाकर्ता विकास अधिकारी ने उपरोक्तानुसार आवंटित भू पट्टी को सार्वजनिक उपयोग हेतु आम रास्ते की भूमि बताकर इस निगरानी याचिका के माध्यम से भू पट्टी आवंटन को अपास्त करने का निवेदन किया है। यद्यपि प्रार्थी ने निगरानी याचिका में यह विवरण नहीं दिया है कि उनके द्वारा उक्त भूमि को रास्ते की भूमि मानने की उपधारणा किसी आधार पर की गई है। इस तथ्य को स्पष्ट करने हेतु प्रार्थी अथवा उनका कोई प्रतिनिधि बहस के दौरान उपस्थित भी नहीं है और न ही निगरानी याचिका के साथ ऐसी कोई जाँच रिपोर्ट संलग्न की गई है जिससे प्रस्तावित भूमि को आम रास्ते की भूमि होना पाया गया हो। प्रार्थी विकास अधिकारी द्वारा याचिका के साथ एक तकमीने (Estimate) की प्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न की है, जो किसी कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा हस्ताक्षरित है किन्तु उक्त तकमीना किस स्थल/वार्ड/कार्य इत्यादि से सम्बन्धित है, ऐसा कोई विवरण उक्त तकमीने पर अंकित तक नहीं है। ऐसे किसी विवरण के अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त तकमीना (Estimate) विचाराधीन प्रकरण से किस प्रकार सम्बन्धित है और न



यह तथ्य स्पष्ट करने हेतु प्रार्थी अथवा उनकी ओर से अधिकृत कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा एक पट्टा विलेख मिसल संख्या 4/72-73 दिनांक 07.06.1972 के अतिरिक्त प्रार्थी श्री लच्छीराम पुत्र श्री गुलाजी कुम्हार याचिका के साथ संलग्न प्रस्तुत किया है, यद्यपि प्रार्थी ने निगरानी याचिका में इस पट्टा विलेख तथा विचाराधीन प्रकरण में इसकी प्रासंगिकता के सम्बन्ध में कोई उल्लेख या अंकन नहीं किया है किन्तु, उक्त पट्टा विलेख दिनांक 07.06.1972 की भूमि को बेचाननामों की प्रति याचिका के साथ संलग्न है, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है उक्त पट्टाधारी श्री लच्छीराम पुत्र गुलाजी कुम्हार द्वारा उक्त पट्टा विलेख दिनांक 07.06.1972 की भूमि अप्रार्थी श्री राजेश पुत्र रंगराज जी को दिनांक 15.05.1987 को विक्रय की गई। पूर्वोक्त पट्टा विलेख मिसल संख्या 4/72-73 दिनांक 07.06.1972 की चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में रास्ता अंकित नहीं है अपितु चौधरी केसाराम का मकान व दरवाजा होना अंकित है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उक्त बेचानकर्ता एवं पट्टाधारी श्री लच्छीराम पुत्र गुलाजी कुम्हार के जैर निगरानी आलोच्य मिसल संख्या 121/2010-11 में प्रस्तावित भू पट्टी आवंटन के सम्बन्ध में बयान कलमबद्ध होकर संलग्न है। उक्त बयान में उनके द्वारा कथन किया गया है कि "मेरा पुराना मकान वार्ड संख्या 17 अम्बाला गांव में आया हुआ था जो मैंने उपरोक्त प्रार्थी श्री राजेश कुमार/रंगराज जी को बेचान जरिये रजिस्ट्री द्वारा कर दिया है। उपरोक्त प्रार्थीगणों के मकानों के आमने सामने के मकान इन्हीं के आये हुए है तथा उत्तर दिशा की तरफ मेरा मकान आया हुआ है जो राजेश को बेच दिया है। उपरोक्त प्रार्थीगणों के मकान के बीच की भू पट्टी जो फालतु मे पडी हुई है जो इन्हीं के उपयोग में आती है तथा अन्य किसी के मकान व रास्ता वगैरह नहीं आता है तथा उत्तर दिशा में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता वगैरह नहीं है। यह भू पट्टी उपरोक्त प्रार्थीगणों के संयुक्त नाम से आवंटन की जाती है अन्य किसी को कोई उजर आपत्ति वगैरह नहीं होगी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर



पंचायत निगरानी संख्या : 408/2024

उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम राजेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

यह बयान मैंने अकल होशियारी बिना नशे पते होश हवाश में दिया है जो वक्त जरूरत काम आवें। जो सनद रहें।"

अर्थात् प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका के सलंगन जिस पट्टा विलेख दिनांक 07.06.1972 एवं बेचाननामें की प्रति सलंगन की है, उक्त पट्टाधारी एवं बेचानकर्ता श्री लच्छीराम ने स्वयं अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि प्रस्तावित भू पट्टी पर कोई सार्वजनिक रास्ता विद्यमान नहीं है तथा उक्त भूमि अप्रार्थीगण के मकानों के मध्य स्थित होने से मात्र उनके ही उपयोग-उपभोग की भूमि है।

प्रार्थी उपरोक्त दो दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य ऐसा दस्तावेज, जाँच रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, जो प्रश्नगत भू पट्टी को उनके कथनानुसार सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि मानने की उपधारणा करने में सहायक हो।

निर्णय के इस स्तर पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 144 को उद्धरित करना भी प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:-

(1) पंचायत 100 वर्ग गज तक की कोई भूमि पट्टी निवासीय प्रयोजनों के लिए और 200 वर्ग फुट तक की भूमि पट्टी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान बाजार मूल्य पर आवंटित कर सकेगी।

(2) भूमि पट्टी केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित की जायेगी जिनका विद्यमान मकान/दुकान ऐसी पट्टी से लगी हुई है और उसके लिए अन्य कोई आवेदक नहीं है।

(3) एक से अधिक व्यक्तियों के मकानों/दुकानों के पट्टी से लगी होने के मामले में उन्हें नीलाम किया जायेगा।

उपरोक्त प्रावधान के आलोक में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जैर निगरानी आलोच्य संख्या 121/10-11 में सलंगन बयानों, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से पारित संकल्प से यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित भू पट्टी के सम्बन्ध में अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम/दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था, तथा प्रचलित बाजार मूल्य वसूल कर उक्त भू-पट्टी को अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन किया गया है।

जहाँ तक राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 154 की पूर्वापेक्षा में 50000/- रुपये से अधिक राशि के पट्टा विलेख का पंचायत समिति से पूर्वानुमोदन का प्रश्न है, तो यह प्रक्रिया से सम्बन्धित विषय है। उक्त प्रक्रियात्मक त्रुटि (Procedural lapse) ग्राम पंचायत स्तर पर कारित त्रुटि है। ग्राम पंचायत द्वारा नियत बाजार मूल्य राशि 78899/- जरिए रसीद संख्या 937 दिनांक 07.06.2011 अप्रार्थीगण द्वारा पंचायत कोष में जमा करवाए है अर्थात् उनके द्वारा राजकोष को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है एवं स्थानीय पंचायत से यह अपेक्षित था कि आवेदकगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने के उपरान्त प्रकरण को अनुमोदन हेतु पंचायत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.



पंचायत निगरानी संख्या : 408/2024

उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम राजेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रेषित किया जाता किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कारित की गई इस प्रक्रियात्मक त्रुटि का दण्ड अप्रार्थीगण को नहीं दिया जा सकता। यद्यपि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति देसूरी इस सन्दर्भ में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 61 के उपबन्धान्तर्गत प्रकरण पंचायत समिति की स्थायी समिति के सक्षम रखकर कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

सारांशतः, प्रार्थी द्वारा आलोच्य भू पट्टी आवंटन एवं पट्टा विलेख संख्या 5151 के विरुद्ध प्रस्तुत सार्वजनिक रास्ते की भूमि सम्बन्धि आक्षेप ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में सिद्ध नहीं पाया जाता है। किन्तु, राजहित में विकास अधिकारी प.स. देसूरी को यह निर्देश अवश्य दिए जाते हैं कि प्रकरण की पुनः विस्तृत जांच करवाए तथा प्रार्थी माफिक जाँच निष्कर्ष पुनः कार्यवाही प्रस्तावित करे हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड पुनः लौटाया जाए।



(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कार्यालय
अतिरिक्त जिला कार्यालय,
बाली